

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 22/2012 (76 एल .आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2012/00144

उनवान

मुन्नालाल पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैपऊ जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश न्यायालय अति० जिला कलेक्टर धौलपुर दिनांक
04.07.2012 प्र.संख्या 34/2012 उनवानी मुन्नालाल
बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार भार्गव उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 15.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति० जिला कलेक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सैपऊ ने आराजी खसरा नम्बर 500, 612, 613, 614, 615, 616, 631/673, 632, 625, 636, 704/669 पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने व 9423 रूपये शास्ति का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति० जिला कलेक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति० जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2012 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट और उसके भाई खातेदार कृषक हैं, जिसके संबंध में एक याचिका माननीय राज० उच्च न्यायालय में लम्बित है। उक्त याचिका के रहते अपीलाण्ट पर धारा 91 भू

राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विवादित आराजी बाबत् पूर्व में भी अपीलाण्ट व उसके भाईयों के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाहियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि जब तक माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कार्यवाही लम्बित रखी जाती है। इस कारण से भी पुनः कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा अपील खारिज करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की ओर गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाईल प्रपत्र पर पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। विवादित भूमि की किस्म बारानी सोयम है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है एवं पूर्व में भी अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट भी विवादित भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते हैं।
6. हम अपीलाण्ट के इस तर्क को भी नहीं नकारते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित करना त्रुटिपूर्ण है। अपीलाण्ट के उपरोक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय के कार्य प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह है परन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है।
7. जहाँ तक अपीलाण्ट का माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिका के चलते धारा 91 अंतर्गत बेदखली कार्यवाही स्थगित रखने का प्रश्न है, अपीलाण्ट द्वारा कथित याचिका बाबत् कोई विवरण अथवा दस्तावेज ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में प्रस्तुत किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अतिक्रमण की कार्यवाही के विरुद्ध, किसी स्थगन आदेश के प्रभावी होने का कथन भी अपील में नहीं है। इस प्रकार वादकरण की आड़ में अवैध कब्जे को निरंतर रखने की छूट नहीं दी जा सकती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।
9. निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.

भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

